राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 2156/2025

अशोक कुमार बैरवा —अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, जल संसाधन, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अधीक्षण अभियंता, प्रशासन, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
3. मुख्य अभिंयता, जल संसाधन, राजस्थान, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 28.02.2025
आदेश की दिनांक : 11.03.2025

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बसंल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ अभियंता के पद पर जल संसाधन केनाल, उपखण्ड, छबड़ा जिला बारां में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से जल संसाधन विभाग, उपखण्ड, हनुमानगढ़ में 700 कि.मी. दूर रिक्त पद पर किया गया तथा अपीलार्थी के स्थान पर रोहित कुमार गुर्जर को पदस्थापन किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–4) के द्वारा रोहित कुमार गुर्जर को जल संसाधन उपखण्ड सवाई माधोपुर से जल संसाधन नहर उपखण्ड छबड़ा में स्थानान्तरणाधीन दर्शाते हुए आर.डब्ल्यू.एस.एल.आई.पी. उपखण्ड सवाईमाधोपुर में स्थानान्तरण कर दिया गया। जहां पर उसने कार्यभार ग्रहण कर लिया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि वर्तमान में पद रिक्त हैं। आलोच्य आदेश दिनांक 14.01.2025 के विरूद्ध माननीय अधिकरण में अपील संख्या 334/2025 दायर की। जिसमें पारित आदेश दिनांक 31.01.2025 (अनुलग्नक–5) के द्वारा अपीलार्थी को उसकी मां की बीमारी एवं 10 माह की अल्पावधि में स्थानान्तरण करने स्थगन प्रदान करते हुए अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा गया, जहां वह चुनौती आदेश पारित होने से पूर्व कार्यरत था। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 14.02.2025 (अनुलग्नक–6) के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 03

को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी का 10 माह की अल्पावधि में स्थानान्तरण किया गया एवं अपीलार्थी की माताजी काफी वृद्ध है, जो अपीलार्थी पर निर्भर है। उनकी देखभाल अपीलार्थी के द्वारा ही की जाती है। उनकी देखभाल करने वाला परिवार में अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। छबड़ा, बारां एवं निकटवर्ती स्थानों पर कई पद रिक्त है, अपीलार्थी को आस–पास पदस्थापित करने का निवेदन किया गया। अपीलार्थी ने अपनी मां की बीमारी का विश्लेषण करते हुए विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। लेकिन अपीलार्थी के अभ्यावेदन को दिनांक 20.02.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा यह करते हुए खारिज कर दिया गया सरकार के पास किसी भी कर्मचारी को कहीं भी स्थानान्तरित करने का अधिकार है। अपीलार्थी वर्तमान पद पर दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–3) से कार्यरत है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.01.2025 एवं 20.02.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को कनिष्ठ अभियंता के पद पर जल संसाधन केनाल, उपखण्ड, छबड़ा जिला बारां में निरन्तर कार्य करने दिया जावें एवं समस्त पारिणामिक लाभ दिये जावे।

3. हमनें उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी कनिष्ठ अभियंता के पद पर जल संसाधन केनाल, उपखण्ड, छबड़ा जिला बारां में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से जल संसाधन विभाग, हनुमानगढ़ में प्रशासनिक आवश्यकता एवं राज्यहित में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर किया है। सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 14.01.2025 एवं 20.02.2025 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होता है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)